न्यायालय सहायक कलक्टर (FT), मावली जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या : **12/25 (वाद)**

GCMS No. : 2025/24

1. केला पिता स्व० नवला जी जाति भील, उम्र, वयस्क, निवासी फलीचड़ा, तहसील मावली जिला उदयपुर।

............वादी

बनाम

1. बालुराम पिता स्व० नवला जी जाति भील, उम्र वयस्क, निवासी फलीचड़ा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
2. बाबु पिता स्व० नवला जी जाति भील, उम्र वयस्क, निवासी फलीचड़ा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
3. दोलीबाई पुत्री स्व० नवला जी (पत्नी गोदाजी) जाति भील, उम्र वयस्क, निवासी कालानाड़ा थामला, तहसील घासा, जिला उदयपुर (राज०)
4. लेहरीबाई पुत्री स्व० नवला जी (पत्नी भुराजी) जाति भील, उम्र वयस्क, निवासी धुणी वासनी, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
5. बाबु माता स्व० सरसीबाई (पिता लखमीचन्द जी) जाति भील, उम्र वयस्क, निवासी धाणिया, सालोर, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज०)
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, मावली, जिला उदयपुर (राज०)

...............प्रतिवादीगण

उपस्थित–1. श्री सम्पत सामोता, अधिवक्ता वादी

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक : 15.07.2025

1. वादी द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 88 में पेश कर निवेदन किया कि मौजा धनेरिया, पटवार हल्का खरताणा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०) के आराजी नम्बर 731, 734, 735, 736, 737, 738 किता 6 कुल रकबा 1.0036 हैक्टेयर भूमि वर्तमान राजस्व रेकर्ड में खातेदार सुन्दर पत्नी भेरा भील के नाम स्वतंत्र रूप से खातेदारी हक से दर्ज है। यह कि हम पक्षकारान का सजरा खानदान निम्न प्रकार है : –

   उक्त सजरे अनुसार नवला जी के तीन पुत्र बालुराम, केला, बाबु एवं चार पुत्रीयां दोलीबाई, लेहरीबाई, सरसीबाई एवं सुन्दरबाई हुई हैं। सरसीबाई की मृत्यु हो चुकी हैं जिसका वारिस बाबु प्रतिवादी संख्या 5 हैं। सुन्दरबाई व इसका पति लाऔलाद फौत हूवे हैं।

2. यह कि उक्त वर्णित सजरे अनुसार नवला जी के तीन पुत्र बालुराम, केला, बाबु (वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2) एवं चार पुत्रीयां दोलीबाई (प्रतिवादी संख्या 3), लेहरीबाई (प्रतिवादी संख्या 4), सरसीबाई एवं सुन्दरबाई हुई हैं। नवला की पुत्री सुन्दरबाई की शादी धोला [illegible] श्री भेरा उर्फ भेरूलाल भील के साथ हुई थी जिसके बाद सुन्दरबाई [illegible] भेरा उर्फ भेरूलाल [illegible] ने बतौर

Signature Not Verified
Digitally Signed by Ramesh Shirvi Punadia
Date: 2025.08.22 16:53:41 IST
Reason: SelfAttested

पति–पत्नी साथ रहकर अपने दाम्पत्य कर्तव्यों का निर्वहन किया किन्तु इनके कोई संतान उत्पन्न नही हुई तथा इस दरमियान सुन्दरबाई के पति भेरा उर्फ भेरूलाल की भी मृत्यु हो गई एवं सुन्दरबाई के स्वर्गीय पति भेरा उर्फ भेरूलाल के प्रथम श्रेणी के निकटतम जो भी भाईबन्धु थे वे सभी भी एक–एक करके लाऔलाद फौत हो गये।

3. यह कि सुन्दरबाई के पति भेरा उर्फ भेरूलाल की मृत्यु होने तथा भेरा उर्फ भेरूलाल के प्रथम श्रेणी के निकटतम भाईबन्धुओं के लाऔलाद फौत हो जाने एवं सुन्दरबाई के भी कोई संतान नही होने के कारण आज से करीब 45 वर्ष पूर्व सुन्दरबाई अपने पीहर आ गयी और मुझ वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 जो कि सुन्दरबाई के सगे भाई है, के साथ रहने लग गई जहां पर मुझ वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 द्वारा ही सुन्दरबाई का भरण पोषण करते हुए सेवा चाकरी की गई तथा सुन्दरबाई हम भाईयों के साथ ही अपने अंतिम समय तक रही। सुन्दरबाई के दिनांक 11–12–2023 को लाऔलाद फौत होने के बाद मैं वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 मृतक बहिन सुन्दरबाई के विधिक वारिसान एवं उत्तराधिकारी होने से हमारे द्वारा ही संयुक्त रूप से बहिन सुन्दरबाई के अंतिम क्रियाकर्म किये गये और सामाजिक परम्परा अनुसार आयोजित होने वाले सभी कार्यक्रमों का आयोजन कर हमारी ओर से अपने दायित्वों एवं कर्तव्यों का निर्वहन किया गया। सुन्दरबाई हमारे पास पीहर आकर रहने पर हमारे द्वारा की गई सेवा चाकरी से प्रसन्न होकर सुन्दरबाई ने अपने जीवनकाल में ही अपनी खातेदारी की कलम संख्या एक में वर्णित कृषि भूमि हम तीनों भाईयों अर्थात मुझ वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 को दे दी जिससे उसके बाद से ही हम तीनों भाईयों द्वारा ही हमारी बहिन सुन्दरबाई की खातेदारी की उक्त वर्णित कृषि भूमि पर काबिज होकर उपयोग उपभोग किया जाने लग गया तथा मृतक खातेदार सुन्दरबाई की हम भाईयों द्वारा तन मन धन से सेवा चाकरी किये जाने के कारण सुन्दरबाई ने अपने अंतिम समय में भी परिवारजनों, रिश्तेदारों एवं जाति समाज के मौतबीरों की मौजूदगी में अपनी खातेदारी की कृषि भूमि हम तीनों भाईयों को मौखिक रूप से वसीयत कर दे दी और सुन्दरबाई ने सभी मौजूदगी में कथन किया कि मेरे भाईयों ने मेरी सेवा चाकरी की है इसलिये मैं मेरी खातेदारी की जमीन तीनों भाईयों को समान हिस्सेनुसार वसीयत कर दे रही हूँ जिससे मेरे मरने के बाद मेरे तीनों भाई वादी व प्रतिवादी संख्या 1, 2 उक्त जमीन को अपने नाम पर कराकर अपनी इच्छानुसार उपयोग उपभोग करने हेतु स्वतन्त्र रहेगें, इसमें अन्य किसी का कोई हक हिस्सा नही होगा। सुन्दरबाई द्वारा अंतिम समय में की गई मौखिक वसीयत के अनुसार हम तीनों भाई सुन्दरबाई की मृत्यु पश्चात् सुन्दरबाई की खातेदारी की उक्त जमीन पर मालिक की हैसियत से काबिज चले आ रहे है और

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.08.22 16:53:41 IST
Reason: SelfAttested

आज तक भी उक्त भूमि हमारे ही कब्जे काश्त एवं उपयोग उपभोग में निर्बाध रूप से चली आ रही हैं।

4. यह कि उक्त वर्णित आराजीयात की खातेदार सुन्दरबाई पत्नी भेरा का निधन हो चुका है और सुन्दरबाई द्वारा उसके जीवनकाल में ही उसकी खातेदारी की भूमि हमें मौखिक वसीयत के जरिए दी गई है जिससे उक्त भूमि पर हम तीनों भाईयों का ही कब्जा चला आ रहा हैं। प्रतिवादी संख्या 3, 4 एवं प्रतिवादी संख्या 5 की माता सरसीबाई शादीसुदा होकर वर्षों से अपने–अपने ससुराल में ही आबाद है जिनका सुन्दरबाई की भूमि पर कभी कोई कब्जा अधिकार नही रहा है, न ही वर्तमान में हैं। किन्तु हमारे नाम पर उक्त भूमि का नामान्तरकरण नही खुला है जिस वजह से उक्त भूमि मुझ वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 के नाम पर रेकर्ड में अंकित नही हो सकी जिससे मुझ वादी को उक्त भूमि में निहित अपने हक हिस्से का अधिकतम विकास करने हेतु बैंक आदि से ऋण प्राप्त करने में भारी असुविधा एवं कठिनाई हो रही है। इसलिये मैं वादी वाद पत्र की कलम संख्या एक में वर्णित कृषि भूमि में मृतक खातेदार सुन्दरबाई पत्नी भेरा उर्फ भेरूलाल भील के नाम दर्ज सम्पूर्ण हक हिस्सा भूमि को मुझ वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 के नाम बराबर–बराबर हिस्सेनुसार खातेदारी हक की घोषणा कराकर हमारे नाम पर अंकित कराने का अधिकारी हूँ। मुझ वादी का प्राइमाफैसी कैस है क्योंकि उक्त वर्णित कृषि भूमि की मृतक खातेदार सुन्दरबाई मेरी बहिन है जिसके ससुराल पक्ष में निकटतम भाई बन्धु लाऔलाद फौत हो चुके है और सुन्दरबाई व इसके पति भी लाऔलाद हो चुके हैं। सुन्दरबाई की सेवा चाकरी मुझ वादी व प्रतिवादी संख्या 1, 2 द्वारा ही की गई थी जिससे प्रसन्न होकर सुन्दरबाई ने अपनी खातेदारी की भूमि हम तीनों भाईयों को मौखिक वसीयत कर दी थी जिससे सुन्दरबाई के जीवनकाल से ही मैं वादी व प्रतिवादी संख्या 1, 2 उक्त भूमि पर काबिज चले आ रहे है। सुन्दरबाई की मृत्यु उपरान्त होने वाले सभी सामाजिक कार्यक्रम भी हम भाईयों द्वारा ही किये है जिसका ज्ञान हर आम व खास को हैं। लेकिन उक्त भूमि हमारे नाम पर अंकित नही होने से हमको उक्त भूमि के विकास करने में काफी कठिनाई का सामाना करना पड़ रहा है। ऐसी अवस्था में उक्त भूमि को हमारे खातेदारी हक की घोषित करा हमारे नाम पर राजस्व रेकर्ड में अंकन कराने के अधिकारी है। उक्त भूमि हमारे नाम पर अंकित नही होने से मुझ वादी को भारी क्षति होगी जिसका मूल्याकंन रूपयों पैसो में किया जाना असंभव होगा। सुविधा संतुलन व अशोधनीय क्षति का बिन्दू भी मेरे पक्ष में है।

5. यह कि मुझ वादी को वाद कारण दिनांक 02–2025 को उत्पन्न हुआ जब मुझ वादी ने राजस्व रेकर्ड की नकल प्राप्त की व पटवारीजी से सम्पर्क कर उक्त भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.08.22 16:53:41 IST
Reason: SelfAttested

खातेदार सुन्दरबाई द्वारा अपने अंतिम समय में की गई मौखिक वसीयत के अनुसार मुझ वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 के नाम पर अंकित करने हेतु निवेदन किया तो पटवारीजी ने उक्त भूमि न्यायालय आदेश ही हमारे नाम पर होने की बात कही और उक्त भूमि हमारे नाम पर अंकित करने से मना कर दिया, तब उत्पन्न हुआ और उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है।

6. अंत में निवेदन किया कि मुझ वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध निम्न आशय की डिक्री जारी फरमाई जावें कि उक्त वर्णित कृषि भूमि में मृतक खातेदार सुन्दरबाई पत्नी भेरा के नाम अंकित कृषि भूमि में मुझ वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 को बराबर–बराबर हिस्सेनुसार खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जावें एवं इसी अनुसार हमारा नाम राजस्व रेकर्ड खेवट खतौनी जमाबंदी में अंकन कराया जावें। मृतक खातेदार सुन्दरबाई पत्नी भेरा भील की खातेदारी की कृषि भूमि का वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 को खातेदार घोषित किया जाना सम्भव न हो तो वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 5 को मृतक खातेदार सुन्दरबाई के विधिक वारिसान होने से उक्त भूमि का बराबर–बराबर हिस्सेनुसार खातेदार घोषित फरमाया जावें। अन्य दादरसी वादी कानूनन जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 209 के अनुसार प्राप्त करने का अधिकारी हो वह प्रदान कराई जावें।

7. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए। प्रतिवादी संख्या 1 से 6 को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या–6 तहसीलदार मावली प्रकरण में आवश्यक पक्षकार होने से जबाब दावा पेश नहीं करना चाहा है। प्रतिवादी संख्या 1 से 5 द्वारा वादी का वाद स्वीकार किया। प्रकरण में तनकीयात कायम की आवश्यकता नही रहने से साक्ष्यवादी प्रारम्भ की गई। साक्ष्यवादी गवाह वादी स्वयं केला पिता स्व. नवला द्वारा मुख्य परीक्षा का शपथ पत्र प्रस्तुत कर दस्तावेज मौजा धनेरिया की नकल जमाबंदी संवत 2077–80 की खाता संख्या 433 प्रदर्श 1, 50/– रूपये स्टाम्प पर केला का शपथ पत्र मय सजरा प्रदर्श–2, सुन्दरबाई के मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति प्रदर्श 3, सरसीबाई के मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति प्रदर्श 4 करवाए गए। साक्ष्यवादी गवाह पी.डब्ल्यू 2 कालु पिता नाथू द्वारा प्रस्तुत किया गया।

8. प्रकरण में विद्धवान अधिवक्ता वादी की एकपक्षीय बहस सुनी गई। अधिवक्ता वादी द्वारा वाद पत्र के तथ्यो को दौहराते हुए वादी का वाद स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

9. हमनें विद्धवान अधिवक्ता वादी की बहस को समायत किया, प्रकरण में वर्णित तथ्यों पर मनन् किया तथा प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया । हम इस निष्कर्ष पर पहुँचें है कि मौजा धनेरिया पटवार हल्का [illegible]रताणा तहसील मावली की नकल

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.08.22 16:53:41 IST
Reason: SelfAttested

जमाबंदी संवत 2077–80 के खाता संख्या 433 पर दर्ज आराजी नम्बर 731, 734, 735, 736, 737, 738 किता 6 कुल रकबा 1.0036 हैक्टेयर भूमि वर्तमान में सुन्दर पत्नी भेरा भील सा.देह खातेदार के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। प्रदर्श 3 मृत्यु प्रमाण पत्र अनुसार खातेदार सुन्दर बाई भील का निधन हो चुका है। खातेदार की मृत्यु के पश्चात कृषि भूमि में जरिये विरासत के नामान्तरकरण पारित कर उसके प्रथम श्रेणी के वारिसान के नाम दर्ज की जाती है। इस प्रकरण खातेदार सुन्दर बाई लाऔलाद फौत हो चुकी है तथा उसके पति का निधन खातेदार सुन्दरबाई से पूर्व हो चुका है। इस प्रकार मृतक खातेदार के प्रथम श्रेणी के वारिस नही होने से वादग्रस्त भूमि विरासत से दर्ज नही हो सकी है। प्रदर्श 2 50/– रूपये के स्टाम्प पर वादी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र अनुसार ससुराल पक्ष में मृतक खातेदार सुन्दर बाई के देवर/जेठ/नन्द कोई नही है। वादी के कथनानुसार सुन्दरबाई के पति के निधन के पश्चात सुन्दरबाई अपने भाई वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के साथ रहने लग गई। यहां हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 15 को उल्लेख किया जाना आवश्यक है जो इस प्रकार है कि :–

15. हिन्दु नारी की दशा में उत्तराधिकार के साधारण नियम–(1) निर्वसीयत मरने वादी हिन्दू नारी की सम्पत्ति धारा 16 में दिए गए नियमों के अनुसार निम्नलिखित को न्यायगत होगीः–

(क) प्रथमतः पुत्रों और पुत्रियों (जिसके अन्तर्गत किसी पूर्व मृत पुत्र या पुत्री के अपत्य भी हैं) और पति को :

(ख) द्वितीयतः पति के वारिसों को :

(ग) तृतीयतः माता और पिता को :

(घ) चतुर्थतः पिता के वारिसों को : तथा

(ग) अन्ततः माता के वारिसों को।

(2) उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी –

(क) कोई सम्पति जिसकी विरासत हिन्दू नारी को अपने पिता या माता से प्राप्त हुई हो, मृतक के पुत्र या पुत्री के (जिसके अन्तर्गत किसी पूर्व मृत पुत्र या पुत्री के अपत्य भी आते हैं) अभाव में उपधारा (1) में निर्दिष्ट अन्य वारिसों को उसमें विनिर्दिष्ट क्रम में न्यागत न होकर पिता के वारिसों को न्यागत होगीः तथा

(ख) कोई सम्पत्ति जो हिन्दू नारी को अपने पति या अपने श्वसुर से विरासत में प्राप्त हुई हो मृतक के किसी पुत्र या पुत्री के (जिसके अन्तर्गत किसी पूर्व मृत पुत्र या पुत्री के अपत्य भी आते हैं) अभाव में उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट अन्य

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.08.22 16:53:41 IST
Reason: SelfAttested

वारिसों को उसमें विनिर्दिष्ट क्रम से न्यागत न होकर पति के वारिसों को न्यागत होगी।

इस प्रकार हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 15 के अनुसार वादग्रस्त भूमि का मृतक खातेदार सुन्दरबाई के प्रथम श्रेणी के वारिस पुत्र व पुत्री नही है। द्वितीय पति एवं पति के वारिस भी नही है। तृतीय माता पिता भी नही है। चतुर्थतः पिता के वारिस में न्यागत होगी। पिता के वारिस उसके पुत्र व पुत्री है जो मृतक खातेदार के भाई बहन है। न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि राजस्व कर्मचारियो को वादग्रस्त भूमि का नामान्तरकरण हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 15 के अनुसार पारित करना चाहिए था। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 15 में स्पष्ट अंकित है कि निर्वसीयत मरने वादी हिन्दू नारी की सम्पत्ति धारा 16 में दिए गए नियमों के अनुसार पुत्रों और पुत्रियों (जिसके अन्तर्गत किसी पूर्व मृत पुत्र या पुत्री के अपत्य भी हैं) और पति, पति के वारिसों को, माता और पिता को, पिता के वारिसों को, माता के वारिसों को न्यागत होगी। इस प्रकार इस प्रकरण में भी मृतक खातेदार सुन्दरबाई के प्रथम श्रेणी के वारिस पुत्र व पुत्री, पति एवं द्वितीय पति के वारिस, तृतीय माता पिता नही होने की दशा में चतुर्थतः पिता के वारिस उसके पुत्र व पुत्री अर्थात मृतक खातेदार के भाई बहन के नाम विरासत का नामान्तरकरण पारित करना चाहिए था। परन्तु राजस्व कर्मचारियो द्वारा ऐसा नही किया गया। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 15 के तहत स्वीकार योग्य पाया जाता है।

—: : आदेश : :—

परिणामस्वरूप वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि मौजा धनेरिया पटवार हल्का खरताणा तहसील मावली की नकल जमाबंदी संवत 2077–80 के खाता संख्या 433 पर दर्ज आराजी नम्बर 731, 734, 735, 736, 737, 738 किता 6 कुल रकबा 1.0036 हैक्टेयर भूमि सुन्दर पत्नी भेरा के नाम दर्ज है, के बजाय वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 5 को हिस्सा बराबर से खातेदार घोषित किया जाता है। डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो।

पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय आज दिनांक 15.07.2025 को लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.08.22 16:53:41 IST
Reason: SelfAttested

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(एन) मावली

डिक्री व मुकद्धमें इब्तदाई

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) मावली

बईजलास रमेश सीरवी पुनाडिया, आर.ए.एस.

1. केला पिता स्व० नवला जी जाति भील, उम्र, वयस्क, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०) वयस्क, निवासी फलीचड़ा, तहसील मावली जिला उदयपुर।

.....वादी

बनाम्

1. बालुराम पिता स्व० नवला जी जाति भील, उम्र वयस्क, निवासी फलीचड़ा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
2. बाबु पिता स्व० नवला जी जाति भील, उम्र वयस्क, निवासी फलीचड़ा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
3. दोलीबाई पुत्री स्व० नवला जी (पत्नी गोदाजी) जाति भील, उम्र वयस्क, निवासी कालानाड़ा थामला, तहसील घासा, जिला उदयपुर (राज०)
4. लेहरीबाई पुत्री स्व० नवला जी (पत्नी भुराजी) जाति भील, उम्र वयस्क, निवासी धुणी वासनी, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
5. बाबु माता स्व० सरसीबाई (पिता लखमीचन्द जी) जाति भील, उम्र वयस्क, निवासी धाणिया, सालोर, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज०)
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, मावली, जिला उदयपुर (राज०)

.....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
मुकदमा न0 : 12/25 (वाद) GCMS No. – 2025/24

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि मौजा धनेरिया पटवार हल्का खरताणा तहसील मावली की नकल जमाबंदी संवत 2077–80 के खाता संख्या 433 पर दर्ज आराजी नम्बर 731, 734, 735, 736, 737, 738 किता 6 कुल रकबा 1.0036 हैक्टेयर भूमि सुन्दर पत्नी भेरा के नाम दर्ज है, के बजाय वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 5 को हिस्सा बराबर से खातेदार घोषित किया जाता है।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 15.07.2025 को जारी की गई।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(FT) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.08.22 16:53:41 IST
Reason: SelfAttested